



2026:AHC:173723

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 90/1983

नौशाद व अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता	: शेख ओबैदुल्ला, डी.एन. पांडेय, आर.एन. पांडेय
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: अपर शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 92

माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल

वर्तमान आपराधिक अपील श्री एस.बी. वर्मा, अष्टम अपर सत्र न्यायाधीश, आजमगढ़ द्वारा सत्र विचारण संख्या 288/1980 में पारित दिनांक 12 जनवरी, 1983 के निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अपीलार्थी नौशाद को धारा 148 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत 18 माह के कठोर कारावास तथा धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास, रु. 200/- के शास्ति सहित, से दंडादिष्ट किया गया। शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में, उसे छह माह की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया।

अपीलार्थीगण इदरीस, खलील खान, राजी अहमद और शमीम अहमद को धारा 147 भा.द.सं. तथा धारा 149 भा.द.सं. के साथ पठित धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और प्रत्येक को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास तथा धारा 307/149 भा.द.सं. के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास, प्रत्येक को रु. 100/- के शास्ति सहित, से

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दंडादिष्ट किया गया। शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में, उन्हें चार माह की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया।

अभियोजन के वाद के अनुसार, सूचनाकर्ता शमशुल हक, ग्राम हमीरपुर, थाना घोसी, जनपद आजमगढ़ के निवासी, ने दिनांक 16.10.1978 को थाने पर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें कथन किया गया कि पूर्व शत्रुता के कारण, दिनांक 16.10.1978 को लगभग सायं 5:00 बजे, अभियुक्तगण, अर्थात् इदरीस पुत्र याकूब; नौशाद पुत्र नुरुल होदा; खलील खान; राजी अहमद; और शमीम अहमद, पुत्रगण महमूद खान, लाठियों और आग्नेयास्त्रों से सुसज्जित होकर, सूचनाकर्ता के द्वार पर आए। नौशाद और इदरीस लाइसेंसी बंदूकें लिए हुए थे, जबकि शेष अभियुक्तगण लाठियों से सुसज्जित थे।

अभियुक्तगण ने नाद खोदना प्रारंभ किया। जब सूचनाकर्ता ने इस पर आपत्ति की, तब नौशाद ने अन्य अभियुक्तगण को उकसाया और सूचनाकर्ता की मृत्यु कारित करने के आशय से उस पर अपनी बंदूक से गोली चलाई। परिणामस्वरूप, सूचनाकर्ता को आग्नेयास्त्र की चोटें आईं। घटना के साक्षी शमीम, अनवारुल हक, खुशबन निशा और अन्य थे। सूचनाकर्ता ने आगे कथन किया कि उसका चिकित्सीय परीक्षण जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में किया गया, और उसे लगी चोटों के कारण, वह तुरंत थाने नहीं जा सका। यह भी अभिकथित किया गया कि घटना के दौरान, अभियुक्तगण को भी चोटें आईं।

सूचनाकर्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित रिपोर्ट के आधार पर, एक प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गई और तत्संबंधी रोज़नामचा आम प्रविष्टि की गई। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, सक्षम न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

इदरीस, खलील खान, राजी अहमद और शमीम अहमद के विरुद्ध धारा 147 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जबकि अभियुक्त नौशाद के विरुद्ध पृथक रूप से धारा 148 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए। अभियुक्तगण ने आरोपों से इनकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

अपना वाद सिद्ध करने हेतु, अभियोजन ने पी.डबल्यू.-1 शमशुल हक, पी.डबल्यू.-2 खुशबन निशा, पी.डबल्यू.-3 मुहम्मद शमीम, पी.डबल्यू.-4 हवलदार सिंह, पी.डबल्यू.-5 उप निरीक्षक लाल चंद लाल, और पी.डबल्यू.-6 बजरंगी यादव, एक्स-रे तकनीशियन, की परीक्षा की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



न्यायालय ने सी.डबल्यू.-1, डॉ. आर.आर. राय, चिकित्सा अधिकारी, और सी.डबल्यू.-2, डॉ. ओ.पी. खत्री, की भी परीक्षा की।

धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित अपने कथनों में, अभियुक्तगण ने उनके समक्ष रखी गई अपराधसूचक परिस्थितियों से इनकार किया और अपनी निर्दोषता का दावा किया। अभियुक्त शमीम अहमद ने कथन किया कि सूचनाकर्ता और उसके साथी उनके सहन में बांस के खंभे गाड़ रहे थे और, जब उसने इस पर आपत्ति की, तब उन्होंने उस पर गोली चलाई और लाठियों तथा डंडों से उस पर हमला किया। उसने आगे कथन किया कि उसने भी अपनी चोटों का चिकित्सीय परीक्षण कराया था और सूचनाकर्ता ने अभियुक्तगण के विरुद्ध एक मिथ्या रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया। तथापि, उन्होंने अपने बचाव में कोई मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करने पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने इदरीस, खलील खान, राजी अहमद और शमीम अहमद को धारा 149 भा.द.सं. के साथ पठित धारा 147 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराधों के लिए दोषसिद्ध किया, जबकि अभियुक्त नौशाद को धारा 148 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया।

अभियुक्त नौशाद को धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए 18 माह के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया। उसे आगे धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा रु. 200/- के शास्ति के भुगतान से दंडादिष्ट किया गया। शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में, उसे छह माह की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया।

अभियुक्तगण इदरीस, खलील खान, राजी अहमद और शमीम अहमद को धारा 147 भा.द.सं. के अंतर्गत एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया गया। उन्हें आगे धारा 149 भा.द.सं. के साथ पठित धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत पांच वर्ष के कठोर कारावास तथा प्रत्येक को रु. 100/- के शास्ति के भुगतान से दंडादिष्ट किया गया। शास्ति का भुगतान न करने के व्यतिक्रम में, उन्हें चार माह की अतिरिक्त अवधि के लिए कठोर कारावास भुगतान का निर्देश दिया गया।

उपर्युक्त दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश से व्यथित होकर, अभियुक्त-अपीलार्थीगण ने वर्तमान अपील प्रस्तुत की।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विपरीत, विकृत, और विधितः असंधार्य थे। यह तर्क दिया गया कि अभियोजन अपीलार्थीगण का अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित करने में विफल रहा है और, अतः, अपीलार्थीगण दोषमुक्ति के हकदार थे।

तदनुसार, विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थना की कि अपील अनुज्ञात की जाए और विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश को अपास्त किया जाए।

राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश के आदेश का समर्थन किया और प्रस्तुत किया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष अभिलेख पर उपलब्ध प्रत्यक्षदर्शी तथा चिकित्सीय साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित थे और इनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं थी।

वर्तमान अपील की लंबितता के दौरान, अपीलार्थीगण इदरीस और खलील खान का निधन हो गया। परिणामस्वरूप, अपील, जहां तक उक्त अपीलार्थीगण से संबंधित थी, उपशमित हो गई, और उनके विरुद्ध कार्यवाही तदनुसार समाप्त कर दी गई। वर्तमान अपील, अतः, केवल शेष जीवित अपीलार्थीगण के संबंध में जीवित है।

इस न्यायालय ने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और, जैसा कि दोषसिद्धि के निर्णय से निपटने वाले अपील न्यायालय से अपेक्षित है, अभिलेख पर उपलब्ध संपूर्ण साक्ष्य का सावधानीपूर्वक पुनर्मूल्यांकन किया है।

अभियोजन का वाद, सारतः, पी.डबल्यू.-1 शमशुल हक, घायल सूचनाकर्ता, पी.डबल्यू.-2 खुशबन निशा, और पी.डबल्यू.-3 मुहम्मद शमीम के साक्ष्य पर, अभिलेख पर उपलब्ध दस्तावेजी और चिकित्सीय साक्ष्य के अतिरिक्त, आधारित है।

पी.डबल्यू.-1 शमशुल हक ने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया है कि अभियुक्त इदरीस लाइसेंसी बंदूक लिए हुए था, अभियुक्त नौशाद भी बंदूक से सुसज्जित था, और शेष अभियुक्तगण लाठियां लिए हुए थे। उसने घटना के संबंध में अभियोजन के विवरण का समर्थन किया और कथन किया कि, जब अभियुक्तगण को उकसाया गया, तब नौशाद ने अपनी बंदूक से गोली चलाई, जिसके

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



परिणामस्वरूप उसे चोटें आईं। उसने आगे कथन किया कि उसका चिकित्सीय परीक्षण जिला चिकित्सालय, आजमगढ़ में किया गया था।

पी.डबल्यू.-1 का साक्ष्य पी.डबल्यू.-2 खुशबन निशा के साक्ष्य से, जो घटना की प्रत्यक्षदर्शी साक्षी थी, सारवान संपुष्टि प्राप्त करता है। उसने कथन किया कि शमशुल हक उसका भाई है और उसका घर उसके घर के उत्तर में स्थित है। नाद तोड़े जाने की आवाज सुनकर, वह अपने घर से बाहर निकली और नौशाद, शमीम, राजी अहमद, खलील खान और इदरीस को लाठियों से नाद तोड़ते देखा। जब शमशुल ने आपत्ति की और अन्य अभियुक्तगण ने नौशाद को उकसाया, तब नौशाद ने शमशुल पर गोली चलाई। उसने आगे कथन किया कि, जब शमशुल भाग रहा था, तब उसे चोटें आईं और वह गिर पड़ा, जिसके पश्चात शमीम ने उस पर लाठी से हमला किया।

उसने यह भी कथन किया कि शागिर ने, शमशुल को बचाने के प्रयास में, शमीम पर लाठी से हमला किया। पी.डबल्यू.-3 मुहम्मद शमीम ने भी कथन किया कि, हंगामे की आवाज सुनकर, वह घटनास्थल पर पहुंचा और अभियुक्तगण को नाद तोड़ते देखा। उसने आगे अभियोजन के वाद का समर्थन किया कि, जब शमशुल ने आपत्ति की, तब अन्य अभियुक्तगण ने नौशाद को उकसाया, जिस पर नौशाद ने शमशुल पर गोली चलाई।

इन तीनों साक्षियों का साक्ष्य, विशेष रूप से पी.डबल्यू.-1, घायल साक्षी का साक्ष्य, घटना के सारवान पहलुओं पर सारतः संगत है। घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति भी स्वाभाविक है। अभियोजन द्वारा प्रकट परिस्थितियों में, केवल इसलिए कि साक्षी घायल के संबंधी हैं अथवा अभियोजन के वाद में हितबद्ध हैं, उनके साक्ष्य को पूर्णतः अस्वीकार नहीं किया जा सकता।

एक घायल साक्षी के साक्ष्य का विशेष साक्ष्यिक मूल्य होता है; तथापि, प्रत्येक आपराधिक वाद की भांति, ऐसे साक्ष्य की सम्यक् सावधानी से संवीक्षा की जानी चाहिए और इसे संभाव्यता तथा चिकित्सीय संपुष्टि की कसौटी पर परखा जाना चाहिए।

औपचारिक साक्ष्य भी अभियोजन के विवरण का समर्थन करता है। पी.डबल्यू.-4, उप निरीक्षक हवलदार सिंह ने कथन किया कि उसने विवेचना की, घटनास्थल का निरीक्षण किया, और स्थल का नक्शा-नज़री तैयार किया। उसने उस पर अपने हस्ताक्षर सिद्ध किए। उसने आगे कथन किया कि शमीम उर्फ महमूद की रिपोर्ट पर दिनांक 16.10.1978 को एक प्रति-वाद भी पंजीकृत किया गया था और उसने उक्त वाद की भी विवेचना की थी।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.डबल्यू.-5, उप निरीक्षक लाल चंद लाल ने कथन किया कि, उप निरीक्षक हवलदार सिंह के स्थानांतरण के पश्चात, उसने शेष विवेचना की और आरोप पत्र प्रस्तुत किया। आरोप पत्र को साक्ष्य में प्रदर्श क-4 के रूप में सम्यक् रूप से सिद्ध किया गया।

पी.डबल्यू.-6, बजरंगी यादव, एक्स-रे तकनीशियन ने क्षति आख्या पर डॉ. आर.आर. राय की लिखावट और हस्ताक्षर सिद्ध किए, जो प्रदर्श क-7 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। उसने यह भी कथन किया कि डॉ. ओ.पी. खत्री ने उसके साथ रेडियोलॉजिस्ट के रूप में कार्य किया था और एक्स-रे रिपोर्ट पर उसकी लिखावट और हस्ताक्षर सिद्ध किए, जो प्रदर्श क-6 के रूप में प्रदर्शित की गई थी।

सी.डबल्यू.-1, डॉ. आर.आर. राय ने शमशुल हक की परीक्षा की, जिसे उसके पिता, शागिर अहमद द्वारा चिकित्सालय लाया गया था। चिकित्सीय परीक्षण पर, उसके शरीर पर आग्नेयास्त्र/छर्रे की छह चोटें पाई गईं। चोटें परीक्षण के समय ताजा थीं और दिनांक 16.10.1978 की संध्या को कारित हुई हो सकती थीं। चिकित्सक ने विनिर्दिष्ट रूप से कथन किया कि चोटों के चारों ओर कोई कालापन अथवा बारूद के निशान नहीं थे। उसने बाएं अग्रबाहु, पीठ और नितंब के एक्स-रे परीक्षण की सलाह दी और यह मत व्यक्त किया कि छर्रों की उपस्थिति एक्स-रे परीक्षण के माध्यम से सुनिश्चित की जा सकती है। चिकित्सक के अनुसार, चोट संख्या 2, 4 और 6 को छोड़कर, शेष चोटें पीछे से गोली चलाए जाने से कारित हो सकती थीं।

तथापि, महत्वपूर्ण रूप से, चिकित्सक ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि कोई भी चोट ऐसी नहीं थी जो सामान्यतः मृत्यु कारित करती।

सी.डबल्यू.-2, डॉ. ओ.पी. खत्री ने एक्स-रे रिपोर्ट सिद्ध की और कथन किया कि उसने संबंधित अंगों का एक्स-रे परीक्षण किया था। एक्स-रे परीक्षण से शमीम अहमद की दाहिनी टांग की टिबिया के ऊपरी भाग में अस्थि भंग प्रकट हुआ। यह चोट अभियुक्त शमीम अहमद की चोट संख्या 1 से मेल खाती थी। इस प्रकार, चिकित्सीय साक्ष्य यह भी स्थापित करता है कि एक प्रति-घटना घटित हुई थी, जिसमें अभियुक्त शमीम अहमद को अस्थि भंग की चोट आई, और उक्त घटना की पृथक् रूप से रिपोर्ट की गई और विवेचना की गई।

अब जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि को बनाए रखा जा सकता है। धारा 307 भा.द.सं. निम्नानुसार है:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“307. हत्या का प्रयास – जो कोई ऐसे आशय या ज्ञान से और ऐसी परिस्थितियों में कोई कार्य करता है कि यदि वह उस कार्य द्वारा मृत्यु कारित कर दे, तो वह हत्या का दोषी होता, तो वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा; और यदि ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति को उपहति कारित हो जाए, तो अपराधी आजीवन कारावास से, अथवा इसमें इसके पूर्व वर्णित दंड से दंडनीय होगा।

आजीवन कारावास से दंडित व्यक्तियों द्वारा प्रयत्न – जब इस धारा के अधीन अपराध करने वाला कोई व्यक्ति आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन हो, तब यदि उपहति कारित हो जाए, तो वह मृत्युदंड से दंडित किया जा सकेगा।”

धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अभियोजन को न केवल उपहति कारित किए जाने को, अपितु धारा 300 भा.द.सं. में विवक्षित अपेक्षित आशय अथवा ज्ञान को भी, हत्या के कारित किए जाने की दिशा में एक कृत्य के साथ, स्थापित करना अपेक्षित है। हथियार की प्रकृति, उसके प्रयोग किए जाने का ढंग, शरीर का वह भाग जिसे लक्ष्य बनाया गया, चोटों की प्रकृति और सीमा, घटना से संबद्ध परिस्थितियां, और अन्य आनुषंगिक परिस्थितियां, ऐसे आशय अथवा ज्ञान के अस्तित्व का अवधारण करने हेतु सुसंगत हैं।

वर्तमान वाद में, साक्ष्य यह स्थापित करता है कि अभियुक्त नौशाद ने सूचनाकर्ता, शमशुल हक पर गोली चलाई, और गोली चलाए जाने से छर्रे की चोटें कारित हुईं। तथापि, बार-बार गोली चलाए जाने का कोई साक्ष्य नहीं है; अपितु, अभियोजन का वाद स्वयं यह है कि केवल एक गोली चलाई गई थी। चिकित्सीय साक्ष्य छह छर्रे की चोटें स्थापित करता है, किंतु उनमें से कोई भी जीवन के लिए खतरनाक नहीं पाई गई। चोटों के चारों ओर कोई कालापन अथवा बारूद के निशान नहीं थे, और चिकित्सक ने यह मत व्यक्त नहीं किया कि कोई विशेष चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त थी।

इससे भी अधिक महत्वपूर्ण रूप से, परिवेशी परिस्थितियां यह प्रकट करती हैं कि घटना नाद से संबंधित एक विद्यमान विवाद से उद्भूत हुई। अभियोजन ने घायल की मृत्यु कारित करने के एक सुनियोजित अथवा दृढ़ प्रयास को दर्शाने वाली कोई बाध्यकारी परिस्थिति स्थापित नहीं की है। साक्ष्य, समग्र रूप से लिया गया, यह इंगित करता है कि घटना एक विद्यमान विवाद से उद्भूत हुई, जिसके दौरान आग्नेयास्त्र से एक गोली चलाई गई, जिसके परिणामस्वरूप छर्रे की चोटें आईं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह न्यायालय इस सुस्थापित सिद्धांत से अवगत है कि केवल यह तथ्य कि कोई चोट प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, स्वयं में, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध के कारित किए जाने को अपवर्जित नहीं करता है। तथापि, समान रूप से, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध गठित करने के लिए आवश्यक आशय अथवा ज्ञान केवल आग्नेयास्त्र के प्रयोग से उपधारित नहीं किया जा सकता। ऐसा आशय अथवा ज्ञान परिस्थितियों की समग्रता से अवगत किया जाना चाहिए।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि केवल एक गोली चलाई गई थी, चोटों की प्रकृति और स्थिति, यह चिकित्सीय मत कि कोई भी चोट जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी, और वे परिस्थितियां जिनमें घटना घटित हुई, यह न्यायालय इस सुविचारित अभिमत का है कि अभियोजन ने खतरनाक हथियार के माध्यम से स्वेच्छया उपहति कारित करने से संबंधित अपराध के कारित किए जाने को स्थापित किया है, किंतु धारा 307 भा.द.सं. के आवश्यक तत्व युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित नहीं किए गए हैं।

तदनुसार, अपीलार्थी की धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि संधार्य नहीं रह सकती और इसे परिवर्तित किया जाना अपेक्षित है। धारा 324 भा.द.सं. निम्नानुसार है:

“324. खतरनाक हथियारों या साधनों से स्वेच्छया उपहति कारित करना – जो कोई, धारा 334 में उपबंधित दशा के सिवाय, गोली मारने, बेधने या काटने के किसी साधन द्वारा, या किसी ऐसे साधन द्वारा, जो अपराध के अस्त्र के रूप में उपयोग किए जाने पर मृत्यु कारित करने की संभावना रखता है, या अग्नि या किसी तप्त पदार्थ द्वारा, या किसी विष या किसी संक्षारक पदार्थ द्वारा, या किसी विस्फोटक पदार्थ द्वारा, या किसी ऐसे पदार्थ द्वारा जो मानव शरीर के लिए श्वास द्वारा अंदर लेने, निगलने या रक्त में पहुंचाने के लिए हानिकर हो, या किसी पशु द्वारा, स्वेच्छया उपहति कारित करता है, वह किसी भी भांति के कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दंडित किया जाएगा।”

धारा 324 भा.द.सं., जैसा कि प्रश्नगत घटना पर लागू होती है, गोली मारने, बेधने अथवा काटने के किसी साधन के माध्यम से, अथवा ऐसे किसी हथियार के माध्यम से, जो अपराध के अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने पर मृत्यु कारित करने की संभावना रखता है, स्वेच्छया उपहति कारित किए जाने से संबंधित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



पी.डबल्यू.-1, पी.डबल्यू.-2 और पी.डबल्यू.-3 का साक्ष्य, सी.डबल्यू.-1 के चिकित्सीय साक्ष्य के साथ, यह स्थापित करता है कि एक आग्नेयास्त्र का प्रयोग किया गया था और घायल, शमशुल हक को छर्रे की छह चोटें आईं। चिकित्सीय साक्ष्य, अतः, आग्नेयास्त्र की चोटों के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी विवरण की सारवान रूप से संपुष्टि करता है।

इन परिस्थितियों में, धारा 324 भा.द.सं. के तत्व स्थापित हैं।

परिणामस्वरूप, जहां धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है, वहीं दोषसिद्धि को धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है।

जहां तक दंडादेश के प्रश्न का संबंध है, घटना दिनांक 16.10.1978 को घटित हुई थी, और जीवित अपीलार्थीगण चार दशकों से अधिक की असाधारण रूप से लंबी अवधि से आपराधिक कार्यवाहियों के परिणामों का सामना कर रहे हैं। इतनी लंबी अवधि का व्यतीत होना केवल अपीलार्थीगण के लिए आरोप्य नहीं है और उपयुक्त दंडादेश अवधारित करते समय इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

एक अन्य महत्वपूर्ण परिस्थिति यह है कि घटना पृथक् रूप से घटित नहीं हुई। अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य दर्शाता है कि अभियुक्त पक्ष को भी उसी घटना के दौरान चोटें आईं और, महत्वपूर्ण रूप से, अभियुक्त शमीम उर्फ महमूद की रिपोर्ट पर एक प्रति-वाद पंजीकृत किया गया था। चिकित्सीय साक्ष्य स्थापित करता है कि शमीम अहमद को टिबिया के ऊपरी भाग का अस्थि भंग हुआ। प्रति-वाद का अस्तित्व और अभियुक्त पक्ष को आई चोटें इस निष्कर्ष का समर्थन करती हैं कि घटना एक पारस्परिक विवाद से उद्भूत हुई और यह पक्षकारों के बीच किसी टकराव से पूर्णतः विलग एकपक्षीय प्रकरण नहीं था।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, विभिन्न निर्णयों में, परिवीक्षा अधिनियम, 1958 में अंतर्निहित सुधारात्मक दर्शन को बार-बार मान्यता दी है। **रतन लाल बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1965 एससी 444** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस अधिनियमन को दंडशास्त्र की आधुनिक उदार प्रवृत्ति में एक मील का पत्थर बताया और इस बात पर बल दिया कि दांडिक विधि का उद्देश्य केवल दंड ही नहीं, अपितु व्यक्तिगत अपराधियों का सुधार भी है।

वेद प्रकाश बनाम हरियाणा राज्य, (1981) 1 एससीसी 447 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि दंडादेश न्यायिक विवेकाधिकार का एक संवेदनशील प्रयोग है और

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अपराधी की सामाजिक पृष्ठभूमि तथा वैयक्तिक परिस्थितियां सुसंगत विचारणीय बातें हैं। न्यायालय ने यह भी मान्यता दी कि वाद-विवाद की एक लंबी अवधि स्वयं में एक निवारक के रूप में कार्य कर सकती है और यह कि, जहां परिस्थितियां अपेक्षित हैं, वहां एक सुधारात्मक दृष्टिकोण को वरीयता दी जानी चाहिए।

हाल ही में, *मिलिंद पुत्र अश्रुबा धानवे व अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य, 2026 आईएनएससी 355*, दिनांक 10.04.2026 को विनिश्चित, मैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, धारा 323 और 324 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धियों से निपटते हुए, परिवीक्षा अधिनियम, 1958 के उद्देश्य को व्यापक रूप से दोहराया। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि यह अधिनियम एक हितकर विधान है जिसका आशय अपराधियों का पुनर्वास करना और उन्हें सुधरे हुए नागरिकों के रूप में समाज की मुख्यधारा में पुनः एकीकृत करना है। इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि, अधिनियम की धारा 4 के अंतर्गत अनुतोष पर विचार करते समय, सुसंगत घटकों में अपराध की प्रकृति, अपराधी का पूर्ववृत्त, चरित्र और स्वभाव, उसकी आर्थिक स्थिति और वृत्ति, निश्चित निवास स्थान, पारिवारिक उत्तरदायित्व, अपराध की गंभीरता, और विवाद का उद्गम सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त निर्णय विशेष रूप से सुसंगत है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय ने स्वयं धारा 323 और 324 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराधों से निपटा और परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 का लाभ प्रदान किया। न्यायालय ने दोहराया कि धारा 4 वहां उपलब्ध है जहां अपराध मृत्युदंड अथवा आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और न्यायालय, वाद की परिस्थितियों को, अपराध की प्रकृति और अपराधी के चरित्र सहित, दृष्टिगत रखते हुए, यह राय बनाता है कि अपराधी को परिवीक्षा पर छोड़ना समीचीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने सदाचरण के बंधपत्र पर अभियुक्त की रिहाई का निर्देश दिया और परिवीक्षा अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण की भी परिकल्पना की।

महाराष्ट्र राज्य बनाम जगमोहन सिंह कुलदीप सिंह आनंद, (2004) 7 एससीसी 659 में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 324 और 452/34 भा.द.सं. से संबंधित एक वाद में परिवीक्षा का लाभ प्रदान किया, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, पर्याप्त समय के व्यतीत होने, इस तथ्य कि विवाद एक तुच्छ विषय को लेकर पड़ोसियों के बीच था, और इस तथ्य कि घटना कई वर्ष पूर्व घटित हुई थी, को ध्यान में रखा गया। न्यायालय ने पाया कि परिस्थितियां कारावास अपेक्षित नहीं करतीं और अभियुक्त की परिवीक्षा पर रिहाई का निर्देश दिया।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



वर्तमान वाद, जब उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में परीक्षित किया जाता है, तो एक सुधारात्मक दृष्टिकोण के पक्ष में अनेक परिस्थितियां प्रस्तुत करता है। प्रथमतः, घटना चार दशकों से अधिक पुरानी है। द्वितीयतः, धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि संधार्य नहीं रह सकती और इसे धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत परिवर्तित किया गया है। तृतीयतः, चिकित्सीय साक्ष्य दर्शाता है कि, यद्यपि घायल को छर्रे की छह चोटें आईं, उनमें से कोई भी जीवन के लिए खतरनाक नहीं थी। चतुर्थतः, केवल एक आग्नेयास्त्र की गोली चलाई गई थी। पंचमतः, घटना एक पूर्व-विद्यमान विवाद से उद्भूत हुई। षष्ठतः, साक्ष्य उसी घटना से उद्भूत एक प्रति-वाद के अस्तित्व को स्थापित करता है, जिसमें अभियुक्त शमीम अहमद को स्वयं अस्थि भंग की चोट आई। सप्तमतः, अपीलार्थीगण चार दशकों से अधिक समय से आपराधिक कार्यवाहियों की छाया में रहे हैं।

वर्तमान वाद की परिस्थितियां, अतः, परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4(1) का लाभ प्रदान किए जाने को समीचीन बनाती हैं। तदनुसार, अपीलार्थीगण की धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि अपास्त की जाती है और इसे धारा 324 भा.द.सं. के अंतर्गत परिवर्तित किया जाता है। धारा 147 और 148 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्धि, जैसा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित है, तथापि नीचे इंगित दंडादेश के उपांतरण के अधीन, यथावत बनी रहेगी।

इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए कि अपीलार्थीगण, अर्थात्, नौशाद, राजी अहमद और शमीम अहमद, का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है; कि घटना वर्ष 1978 में घटित हुई थी; कि उक्त अपीलार्थीगण ने असाधारण रूप से लंबी अवधि तक विचारण और अपील की परीक्षा का सामना किया है; और यह कि विचारण और अपील की लंबितता के दौरान उनके आचरण अथवा दुराचरण के संबंध में अभिलेख पर कोई प्रतिकूल सामग्री नहीं लाई गई है, यह न्यायालय उक्त अपीलार्थीगण को कारावास भेजने के स्थान पर परिवीक्षा अधिनियम, 1958 की धारा 4 के उपबंधों का अवलंब लेना समुचित समझता है।

तदनुसार, अपीलार्थीगण नौशाद, राजी अहमद और शमीम अहमद को एक वर्ष की अवधि के लिए सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़े जाने का निर्देश दिया जाता है, इस शर्त के अधीन कि वे संबंधित जिला परिवीक्षा अधिकारी के समक्ष प्रत्येक रु. 10,000/- की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र तथा समान राशि का एक-एक प्रतिभू प्रस्तुत करेंगे, इस वचन-पत्र के साथ कि वे बंधपत्र प्रस्तुत किए जाने की तिथि से एक वर्ष की उक्त अवधि के दौरान शांति और सदाचार बनाए रखेंगे।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उक्त बंधपत्र अपीलार्थीगण द्वारा इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर प्रस्तुत किए जाएंगे।

परिवीक्षा की किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित अपीलार्थीगण को अभिरक्षा में लिया जाएगा और वे विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा उन्हें दिए गए दंडादेश को, इस न्यायालय द्वारा किए गए उपांतरणों के अधीन, भुगतने होंगे।

उपर्युक्त उपांतरण के साथ, वर्तमान आपराधिक अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है।

इस निर्णय की एक प्रमाणित प्रति अनुपालन हेतु संबंधित न्यायालय को भी भेजी जाए। विचारण न्यायालय का अभिलेख संबंधित जिला न्यायालय को तत्काल वापस प्रेषित किया जाए।

12 अगस्त, 2026

प्रवेश मिश्रा

(न्यायमूर्ति श्रीमती वाणी रंजन अग्रवाल)